अनुदान संख्या 62 – विधि और न्याय
GRANT No. 62–LAW AND JUSTICE

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	590,17,00		625,18,00	615,77,36	–9,40,64
पूरक	Supplementary	35,01,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2,21,58
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	55,00		7,03,00	6,28,00	–75,00
पूरक	Supplementary	6,48,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, समग्र बचतें (940.64 लाख रु.) अगस्त, 2003, दिसम्बर, 2003 और फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 3501.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 27 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.940.64 lakhs) constituted 27 percent of the supplementary grant of Rs.3501.00 lakhs obtained in August, 2003, December, 2003 and February, 2004 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2014" न्याय प्रशासन	Major Head "2014" Administration of Justice				
मू.	O.	2433.00	2337.82	2203.83	–133.99
पु.	R.	–95.18			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2015'' निर्वाचन	Major Head "2015" Election				
मू.	O.	40000.00			
पू.	S.	3499.00	45000.00	44954.78	–45.22
पु.	R.	1501.00			
मुख्य शीर्ष "2020'' आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	Major Head "2020" Collection of Taxes on Income and Expenditure				
मू.	O.	2219.00			
पू.	S.	1.00	2256.00	2042.28	–213.72
पु.	R.	36.00			
मुख्य शीर्ष "2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	1200.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–1200.00			
मुख्य शीर्ष "3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in–Aid to State Governments				
मू.	O.	9570.00			
			9185.00	8937.19	–247.81
पु.	R.	–385.00			

(I) 1202.50 लाख रु. का प्रावधान (एक शीर्ष के अंतर्गत 1.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1200.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2552'' - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान'' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों में उपयोग के लिए संबंधित कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोजन किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.1202.50 lakhs (including supplementary grant of Rs.1.00 lakh under one head) remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.1200.00 lakhs alone was under Major Head "2552" - "Other Expenditure - Lumpsum provision for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - due to re-appropriation of funds to the concerned functional heads for utilisation in the schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "2014'' - "अन्य व्यय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण''- 229.22 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य विधि सेवा प्राधिकारियों द्वारा कम मांग किए जाने के कारण हुई।

(खा) "चारों महानगरों कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्क की व्यवस्था करना''- 169.54 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्क की व्यवस्था के लिए स्थायी वित्त समिति द्वारा कम अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुआ।

(III) मुख्य शीर्ष "2015'' - "लोक सभा और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रभार - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रतिपूर्ति'' के अंतर्गत 1002.00 लाख रु. की बचत (3088.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से निर्वाचन संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2020'' - "निदेशन और प्रशासन - आयकर अपीलीय अधिकरण'' के अंतर्गत 176.72 लाख रु. की बचत (2219.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने तथा आयकर अपीलीय अधिकरण की विभिन्न पीठों के लिए सरकारी आवास के आबंटन में वृद्धि किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3601'' - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - न्याय प्रशासन - अन्य अनुदान - न्यायपालिका से संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान''- 552.81 लाख रु. की बचत (9400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा अनुदानों के लिए कम मांग किए जाने के परिणामस्वरूप हुए कम व्यय को देखते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा योजनागत आबंटन पर अनिवार्य कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत 136.24 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत और 47 प्रतिशत थीं।

(II) Under Major Head "2014" - "Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(A) "National Legal Service Authority" - saving of Rs.229.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to less demand made by the State Legal Service Authorities.

(B) "Computerisation and Networking of Courts in four Metropolitan Cities of Kolkata, Delhi, Mumbai and Chennai" - saving of Rs.169.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to less approval by Standing Finance Committee for computerisation and networking of Courts.

(III) Under Major Head "2015" - "Charges for Conduct of Election for Lok Sabha and State/ Union Territory Legislative Assemblies when held simultaneously - Reimbursement to State/Union Territory Governments" - saving of Rs.1002.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3088.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the State Governments for reimbursement of election related expenditure.

(IV) Under Major Head "2020" - "Direction and Administration - Income Tax Appellate Tribunal" - saving of Rs.176.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2219.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and increased allocation of Government accommodation for various benches of Income Tax Appellate Tribunal.

(V) Under Major Head "3601" - "Grants to Centrally Sponsored Plan Schemes - Administration of Justice - Other Grants - Grants for infrastructural facilities for Judiciary" - saving of Rs.552.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9400.00 lakhs) was due to mandatory cut imposed by the Ministry of Finance on Plan allocations in view of reduced expenditure as a result of less demand by the State Governments for Grants.

(VI) Under two heads savings of Rs.136.24 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 11 percent and 47 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1501.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2015" - "अन्य व्यय - इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों पर व्यय" के अंतर्गत 3499.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1483.34 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2015" - "मतदाताओं को फोटो पहचान पत्रजारी करना - राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 1000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत के निर्वाचन आयोग के इस स्कीम के अंतर्गत अधिकतम मतदाताओं को शामिल करने के निदेश पर राज्यों द्वारा विशेष अभियान प्रांरभ किए जाने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 79.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 7900 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, 56.00 लाख रु. का प्रावधान (एक मामले में फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2.(I) The above savings were partly (Rs.1501.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining the supplementary grant of Rs.3499.00 lakhs under Major Head "2015" - "Other Expenditure - Expenditure on Electronic Voting Machines". Actual excess, however, was Rs.1483.34 lakhs.

(II) The savings were also offset by excess under Major Head "2015" - "Issue of Photo Identity Cards to Voters - Reimbursement to State Governments" - excess of Rs.1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to special drive launched by the States on the directions of the Election Commission of India to cover maximum electorate under this scheme.

(III) Under one head excess of Rs.79.00 lakhs occurred constituting 7900 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, provision of Rs.56.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in February, 2004 in one case) remained wholly unutilised under two heads.